छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

श्रद्धांजलि योजना
दिशा–निर्देश

योजना परिचय–

नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनें वाले परिवारों के किसी भी सदस्य के मृत्यु होने पर, उनके अंतिम संस्कार के लिए इस योजना के अंतर्गत राशि 2000.00 रू. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जावेगी, ताकि दिवंगत व्यक्ति के अंतिम संस्कार हेतु परिवार के समक्ष राशि अभाव के कारण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो अपितु सम्मान सहित अंतिम संस्कार किया जा सके।

पात्र हितग्राही–

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही होंगे।

योजना का विस्तार–

यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त नगरीय निकायों में लागू होगी।

योजना का कियान्वयन–

इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों यथा नगर पंचायत को 50,000 रू. नगर पालिका परिषदों को 1.00 लाख रू. एवं नगर पालिक निगमों को 2.00 लाख रू. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा चुंगी क्षति पूर्ति मद से अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जावेगी। संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस योजना हेतु पृथक खाता खोलकर उपरोक्त राशि रखी जावेगी। योजना के अंतर्गत 70 प्रतिशत राशि व्यय होने पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित प्रकरण संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा। संचालनालय द्वारा चुंगी क्षति पूर्ति मद से उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुरूप राशि तत्काल अवमुक्त की जावेगी।

योजना के लिए निकाय द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसे मोबाईल नंबर नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रसारित किया जावेगा, ताकि अवकाश के दिन भी नागरिक की मृत्यु होने पर योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि त्वरित, संबंधित परिवार को उपलब्ध कराई जा सकेगी। निकाय द्वारा संबंधित नोडल अधिकारी को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जावेगी, ताकि किसी भी स्थिति में दिवंगत व्यक्ति के परिवार को इधर–उधर भटकना न पड़े।

निकाय के खाते में किसी भी कारणवश राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मे, निकाय की स्वनिधि, अधोसंरचना/राज्य प्रवर्तित योजनाओं की ब्याज राशि/मूल राशि से भी योजना के अंतर्गत राशि संबंधित परिवार को उपलब्ध कराई जावेगी एवं संचालनालय से राशि प्राप्त होने पर संबंधित खाते में वापिस जमा कराई जावेगी।

योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर वार्ड पार्षद/ऐल्डर मैन/नगर पालिका/नगर पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नगर सभापति/विधायक/सांसद द्वारा दिवंगत व्यक्ति के गरीबी रेखा से नीचे होने संबंधी तथा दाह संस्कार हेतु राशि उपलब्ध कराने अनुशंसा का लेख किया जाना पर्याप्त होगा, जिसके आधार पर परिवार के सदस्य को वित्तीय सहायता की नगद राशि त्वरित उपलब्ध कराई जावेगी।

शासन की मंशा के अनुसार किसी भी परिस्थिति में दिवंगत परिवार को अंतिम संस्कार हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में संबंधित नोडल अधिकारी/निकाय के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

(एल.डी. चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग